इन्दिरा आवास योजना

(आई.ए.वाई.)

परिचय

- मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवास एक मूल आवश्यकता है और बेहतर जीवन यापन का आधार वह घर है जहाँ अच्छी सुविधाएं मिलती हों। अपना घर होने से व्यक्ति को समाज में पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है। मकान के स्वामित्व से बीपीएल परिवार का बुनियादी आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें प्रगति करने की इच्छा पैदा होती है जो गरीबी उपशमन के लिए बेहद जरूरी है।
- भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन्दिरा आवास योजना चलाई जा रही है। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम एक उप योजना के रूप में 1985–86 में शुरू हुई थी जो जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रही। 01 जनवरी, 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में चल रही है। वर्ष 1999–2000 से कच्चे मकानों को पक्के मकानों में क्रमोन्नत करने का कार्य भी इसके साथ जोड़ा गया है। वर्ष 1999–2000 से ही भारत सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान योजना प्रारम्भ की गई जो इन्दिरा आवास योजना का ही एक भाग है।

उद्देश्य

- इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल की स्थाई प्रतीक्षा सूची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक एवं अन्य जाति के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाईयों के निर्माण/क्रमोन्नत में मदद करना है।

वित्त पोषण एवं संसाधनों का आवंटन

(क) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण पद्धति केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 के आधार पर है। वर्ष 2005–06 से भारत सरकार द्वारा आवंटन मानदण्ड को संशोधित करते हुए राज्यों के लिए आवंटन हेतु आवास की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत महत्ता दी जा रही है। जिलों को आवंटन करते समय आवास की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और अनुसूचित जाति/जन जाति घटक को 25 प्रतिशत महत्ता दी जाती है। जिला स्तर से पंचायतों को आवंटन करते समय आवासों की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और अनुसूचित जाति/जन जाति घटक को 25 प्रतिशत महत्ता दी जाती है।

(ख) 01 अप्रैल, 2013 से इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 70,000/– रू. और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 75,000/– रू. प्रति

इकाई है। राजस्थान राज्य में सभी जिलों में नवीन आवास निर्माण हेतु 70,000/– रू. की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सभी क्षेत्रों के लिए मरम्मत न किये जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने (न्चहतंकंजपवद) के लिए सहायता राशि की अधिकतम सीमा 15,000/– रू. है।

<u>प्रमुख प्रावधान</u>

(क) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित राशि में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन जाति, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों एवं अधिकतम 25 प्रतिशत अन्य जाति के पात्र परिवारों के आवासों पर व्यय का प्रावधान है। उक्त सभी श्रेणियों के विकलांग पात्र परिवारों के आवासों पर 3 प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान है।

(ख) बीपीएल सेन्सस–2002 के आधार पर तैयार की गई पात्र परिवारों की आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूची में से वरीयता क्रम से स्वीकृतियां जारी किये जाने का प्रावधान है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, मरम्मत न किये जा सकने वाले मकानों के उन्नयन की अत्यावश्यकता है। अतः 01.04.2004 से कुल निधियों के 20 प्रतिशत तक का उपयोग मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने और ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत ऋण–सह–सब्सिडी योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। मरम्मत न किये जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने (न्चहतंकंजपवद) के लिए प्रति इकाई 15,000/– रू. की अधिकतम सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) मकान को निरपवाद रूप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम आवंटित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से उसे पति और पत्नि दोनों के संयुक्त नाम से आवंटित किया जा सकता है। तथापि, केवल उस स्थिति में पात्र बीपीएल परिवार के पुरूष को मकान आवंटित किया जा सकता है। जहां पात्र महिला सदस्य नहीं है/जीवित नहीं है।

(ङ) प्रत्येक आई.ए.वाई. मकान में सेनिटरी लैटरीन और धुंआ रहित चूल्हा और उपयुक्त ड्रेनेज की आवश्यकता है। आई.ए.वाई. मकान से अलग, लाभार्थी की जगह पर ही शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। आवास का निर्माण करना लाभार्थी की ही जिम्मेदारी है। आई.ए.वाई. मकान निर्माण के लिए ठेकेदारों को शामिल करना पूर्ण रूप से निषेध है। आई.ए.वाई. मकान के लिए किसी विशेष डिजाईन का निर्धारण नहीं किया गया है परन्तु लाभार्थी को न्यूनतम 20 वर्गमीटर प्लिन्थ क्षेत्र का आवास बनाना आवश्यक है। आई.ए.वाई. मकान के निर्माण हेतु डिजाईन, प्रौद्योगिकी, तकनीकी और सामान का चयन करना लाभार्थी का विवेकाधिकार है।

(च) इन्दिरा आवास के लाभार्थी द्वारा स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराने के लिए इन्दिरा आवास की इकाई अनुदान के अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनुदान देय है।

विशेष परियोजनाएं

आई.ए.वाई. आवंटन की 5 प्रतिशत निधियां केन्द्रीय स्तर पर आरक्षित रखी गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन निधियों का उपयोग करने के लिये विशेष परियोजनाओं के प्रस्ताव निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं :-

1. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बीपीएल परिवारों का पुनर्वास।
2. हिंसा और विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं से प्रभावित बीपीएल परिवारों का पुनर्वास।
3. मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों और मैला ढोने वालों को बसाने की परियोजनाएं।
4. विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों को बसाने की परियोजनाएं।
5. नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन की परियोजनाएं – विशेषकर किफायती और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी पर जोर।

नई पहलकदमियां और अवसर

- उपर्युक्त और पात्र बीपीएल लाभार्थियों की पहचान करना कार्यक्रम का प्रमुख कार्य है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, बीपीएल जनगणना–2002 के परिणामों के आधार पर ग्राम पंचायतवार पात्र परिवारों की स्थाई आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूची तैयार की जा चुकी है तथा इसके वरीयता क्रम के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इस स्थाई प्रतीक्षा सूची को प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित किया गया है तथा विभाग की वेबसाईट ूण्तकचतकण्हवअण्पद पर भी उपलब्ध है। इस कदम से लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की मनमानी अथवा अनाचार को दूर किया जा सकेगा।
- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सभी स्वीकृतियां व्दसपदम]ि`वजि से जारी की जा रही हैं।

उपलब्धियां

- राजस्थान राज्य में आई.ए.वाई. योजना के शुरू होने से वर्ष 2013–14 तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 10.91 लाख मकानों का निर्माण/उन्नयन किया गया है। गत 5 वर्षों में आई.ए.वाई. के अन्तर्गत हुई प्रगति नीचे दिये अनुसार है :-

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	निर्मित/उन्नयित मकान (संख्या)
2009–10	91670	86992
2010–11	63362	63464
2011–12	115490	125647
2012–13	88825	83466
2013–14	85460	77817
2014.15	97145	109982

- योजनान्तर्गत 2013–14 में केन्द्र एवं राज्य सरकार से कुल 63239.381 लाख रूपये की प्राप्तियों के विपरीत कुल 67601.994 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।
- 2014–15 में आई.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत राज्य में 97,145 नए मकान बनाये जाने के लक्ष्य के विपरीत 109982 मकानों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2014–15 के लक्ष्यों की स्वीकृतियां आई.ए.वाई. की प्रतीक्षा सूची के आधार पर ही जारी की गई है।
- 2014–15 में कुल व्यय राशि रू. 56704.887 लाख रूपये में से 75175.000 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।
- वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिये 219 आवास एवं वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिये 106 आवास स्वीकृत किये गये हैं।

निगरानी

- सभी जिलों को आई.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। इन रिपोर्टों के प्रपत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति घटक, महिला लाभार्थियों की कवरेज, धूंआ रहित चूल्हों और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था, शारीरिक रूप से अपंग लाभार्थियों की कवरेज आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण ब्यौरे दिये जाते हैं। वित्तीय निगरानी स्वतः समवर्ती प्रक्रिया है जो उपयोग प्रमाण–पत्रों, लेखा परीक्षा रिपोर्टों आदि, जो निधियों की रिलीज का आधार होती है, के माध्यम से की जाती हैं। राज्य स्तर पर सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति होती हैं और जिला तथा ग्रामीण स्तर पर भी सतर्कता और निगरानी समितियां हैं।
- इन्दिरा आवास योजना की क्रियान्विति, मॉनीटरिंग एवं निगरानी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक, पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा आवाससॉफ्ट से की जाती है।

- जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एवं ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियों के माध्यम से भी योजना की मॉनीटरिंग की जाती है।
- मुख्यालय, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक जिले के लिए क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है और वे समय–समय पर दौरे करते है और आई.ए.वाई. सहित सभी योजनाओं के फिल्ड स्तर के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
- राज्य स्तर से समय–समय पर वीड़ियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से प्रगति समीक्षा की जाती है।